

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग ।
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना ।

सं० सं०-टी-3/बजट-04/2018-

454

/पटना, दिनांक:- 09.3.18

सेवा में,

महालेखाकार
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना ।

अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

द्वारा-

वित्त विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-03-प्रशिक्षण -लघु शीर्ष-003-शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों प्रशिक्षण-मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0118-नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (विपत्र कोड-26- 2230030030118) के अन्तर्गत के विषयशीर्ष 0118.01.01 वेतन मद में रु- 1100000/-, 0118.01.03 जीवन यापन भत्ता मद में रु- 55000/-, 0118.01.04 मकान किराया भत्ता मद में रु - 165000/- 0118.01.06 चिकित्सा भत्ता मद में रु- 1,00,000/-, 0118.01.07 अन्य भत्ता मद में रु -51000/-, 0118.28.02 संविदा सेवाएँ मद में रु -17264000 अर्थात् कुल रु 18735000/-(एक करोड़ सतासी लाख पैतिस हजार.) मात्र का पुनर्विनियोग की स्वीकृति ।

आदेश:-

बिहार वित्तीय नियमावली भाग-I के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृत ।


2.

यह राशि विषयांकित उपरोक्त व्यय शीर्ष के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषयशीर्ष 0118.01.01 वेतन, 0118.01.03 जीवन यापन भत्ता, 0118.01.04 मकान किराया भत्ता, 0118.01.06 चिकित्सा भत्ता, 0118.01.07 अन्य भत्ता मद, 0118.28.02 संविदा सेवाएँ मद, विपत्र कोड-26- 2230030030118 से विकलनीय होगी ।

3.

इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के अंतर्गत संचालित नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे ।।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(के० संधिल कुमार)
अपर सचिव ।


श्रम संसाधन विभाग ।

/पटना, दिनांक:- 09.3.18

ज्ञापांक- टी-3/बजट-04 /2018-

454

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


अपर सचिव ।


श्रम संसाधन विभाग ।

ज्ञापांक- टी-3/बजट-04 /2018-

454

प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) / वित्त विभाग (प्रशाखा-02) /संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /प्रशाखा 2 (सरकार पक्ष) / आई० टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

/पटना, दिनांक:- 09.3.18


अपर सचिव ।

श्रम संसाधन विभाग ।